विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) (क) "एकाधिकार गृह" से संबंधित किसी भी कम्पनी के कार्य के बारे में, इस प्रश्न में उल्लिखित आधारों पर, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 ख (2) के अन्तर्गत 1972 में कोई जांच का आदेश नहीं दिया गया था और न कोई आवेदन-पत्र या रिपोर्ट ही, कथित अधिनियम की धारा 235 के अंतर्गत, ऐसे आधारों पर कोई जांच के आदेश दिये जाने के लिए प्राप्त हुई है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI D. R CHAVAN): (a) No investigation under section 237(b)(ii) of the Companies Act, 1956 was ordered in 1972 in respect of the affairs of any company belonging to a "Monopoly House", on grounds stated in the question, nor any application or report has been received under Section 235 of the said Act for ordering investigations on such grounds.

(b) Does not arise.]

आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के संबंध में अध्ययन

397 **श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग ने देश में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के संबंध में उत्पाद-वार अध्ययन पूरा कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का ब्योरा क्या है, और

(ग) उन एकाधिकारी गृहों के नाम क्या हैं जिन्हें दत्त आयोग के प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया है और जिनका पता प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद चला है और ऐसे प्रत्येक एकाधिकारी गृह के पास कितने कितने प्रतिष्ठान है ?

†[STUDY ON CONCENTRATION OF ECONOMIC POWER

397 SHRI V. K. SAKHLECHA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his Department has completed product-wise study regarding concentration of economic power in the country;

(b) if so, the details of the report submitted by the study group; and

(c) the names of the monopoly houses which were not included in the Report of the Dutt Commission and which have been discovered after the submission of this report and what is the number of concerns owned by each of such monopoly houses?]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) (क) तथा (ख) विभाग ने 349 चयन किये गये उत्पादों वाले 36 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की बावत, तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास पंजीकृत एककों में उत्पाद संकेन्द्रण का अध्ययन किया था। इस अध्ययन से पता चला कि इन 349 उत्पादों में से 312 उत्पादों में उच्च संकेन्द्रण प्रदर्शित हुआ था। (अर्थात् 1970 में, उत्पादन का 75 प्रतिशत या इससे भी अधिक उत्पाद निर्माता तीन शीर्षस्थ उपक्रमों का गिना गया था) इस प्रकार के संकेन्द्रण वाले मुख्य उद्योग, बहिर्वाह तथा इसके सहायक पदार्थ, कृषि मशीनरी तथा उपकरण औद्योगिक तथा खनिज मशीनरी, मूल धातुएं निर्माण तथा भू-प्रभण-कर्ता उपकरण, औद्योगिक उत्प्फोट, मैषज तथा रसायन रबड़ का सामान तथा वैज्ञानिक व औद्योगिक उपकरण है।

(ग) इस विषय की एकाधिकारी एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 20 (क) की दृष्टि में विचार करते समय, 17 नवीन अन्त सम्बन्धित उपक्रमों के कुलक, जो औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति (दत्त कमेटी) की रिपोर्ट में, वृहद

†[ ]English translation.

औद्योगिक गृहो के रूप मे उल्लेखित नही किये गये थे, नोटिस में आये है । इन समूहो मे से प्रत्येक द्वारा नियन्त्रित कम्पनियों की सख्या सलग्न विवरण मे दी गई है ।

विवरण

औद्योगिक लाइसेस नीति जाच समिति की रिपोर्ट मे समूहबद्ध न किये गये उपक्रमो के बृहद अन्त सम्बन्धित कुलको की सूची

क्र०स०	कुलक का नाम	उपक्रमो की सख्या
1	अमालगामेटेड टी एस्टेटस	4
2	अशोक लेलेड	2
3	ब्रुक बाड	9
4	कालटैक्स	2
5	चौगुले	19
6	डनलप	2
7	एस्कोर्टस	4
8	एस्सो	3
9	जी०ई०सी०	8
10	गोदरेज	2
11	इण्डियन टोबैको	5
12	लर्सन एण्ड टोब्रो	9
13	फिलिप्स (इण्डिया) लि०	2
14	प्रतापलाल भोगीलाल	10
15	रोहित	6
16	श्री अम्बिका	10
17	यूनाइटेड ब्रेवरीज	13

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI D. R. CHAVAN) : (a) and (b) The Department had undertaken a study of product concentration among units registered with the Directorate General of Technical Development in respect of 36 priority industries covering 349 selected products. The study revealed that out of the 349 products, 312 products showed high concentration (*i.e.* the top three undertakings manufacturing the product accounted for 75 per cent or more of production in 1970). The main industries having such high concentration were automobiles and ancillaries, agricultural machinery and implements, industrial and mining machinery, basic metals, construction and earth moving equipment, industrial explosives, drugs and pharmaceuticals, rubber goods and scientific and industrial equipment.

(c) Viewing the matter in the light of Sec. 20(a) of the M.R.T.P. Act, 1969. 17 new interconnected sets of undertakings which were not described as large industrial houses in the Report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee (the Dutt Committee) have come to notice. The number of companies controlled by each of these groups is given in the statement enclosed.

STATEMENT

List of large interconnected sets of undertakings not discussed as groups in the report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee

Sl. No.	Name of set	No. of undertakings
1	Amalgamated Tea Estates	4
2	Ashok Leyland	2
3	Brooke Bond	9
4	Caltex	2
5	Chowgule	19
6	Dunlop	2
7	Escorts	4
8	Esso	3
9	G.E.C.	8
10	Godrej	2
11	Indian Tobacco	5
12	Larson & Toubro	9
13	Philips (India) Ltd.	2
14	Pratap Lal Bhogilal	10
15	Rohit	6
16	Shri Ambica	10
17	United Breweries	13

†[ ]English translation.